राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 264/2010/अलवर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत–"ब", अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स विजय इण्डस्ट्रीज,
खैरथल, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.गुप्ता,
अधिकृत अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/02/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 18/उपा/अपील्स/अल/आरएसटी/04–05/09 में पारित आदेश दिनांक 02.09..2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–"ब", अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2004 मे आरोपित ब्याज व शास्ति को न्यायोचित नहीं माना है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2001–02 में राज्य के बाहर विक्रय हेतु भेजे गये सरसों तेल कीमतन रूपये 4,83,746/– की बिक्री सत्यापित नहीं होने के कारण अस्वीकार करते हुए एवं इसको अन्तर्राज्यीय बिक्री मानते हुए 2 प्रतिशत कर रूपये 9,675/–, ब्याज रूपये 6,385/– एवं उक्त विक्रय पर कर दायित्व को छुपाने पर धारा 65 राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1999 सहपठित धारा 9(2A) के बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत शास्ति रूपये 19,350/– को विवादित किया है। जिसके विरूद्ध अपील करने पर अपीलीय अधिकारी ने "एफ" फार्म की बजाय प्रस्तुत बिक्री पट्टी को असत्यापित नहीं करने के आधार पर उक्त सृजित मांग को अपास्त कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 06.07.2004 के विरूद्ध पारित अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.08.2009 एवं तत्पश्चात संशोधित आदेश दिनांक 02.09.2009 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि वर्ष 2001–02 में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स जी.आर.एन्टरप्राईजेज बरपेटा (आसाम) को रूपये 4,83,746/– का सरसों तेल विक्रयार्थ प्रेषित किया गया था परन्तु इसके समर्थन में "एफ" फार्म प्राप्त नहीं हुआ एवं ना ही इसका सत्यापन पाया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष विवादित संव्यवहारों में से मैसर्स श्री चन्द रिद्ध करण शिलोंग का संव्यवहार एफ फार्म प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद सत्यापित मानकर मांग राशि कम कर दी गई थी। परन्तु मैसर्स जी.आर.एन्टरप्राईजेज बरपेटा के संबंध में "एफ" फार्म प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपित मांग राशि विधियुक्त एवं उचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सेल पट्टी (बिक्री पत्र) को प्रेषिति व्यवहारी द्वारा की गई बिक्री के साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेने का कोई औचित्य नहीं है अतः अपास्त की गई उक्त मांग राशि को पुर्नस्थापित की जावे।

5. व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उप राजकीय अभिभाषक के तर्कों का पुर जोर विरोध करते हए अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने मैसर्स जी.आर. एन्टरप्राईजेज बरपेटा आसाम को संव्यवहार किया था जिसके संबंध में माल प्रेषण से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं प्रेषिति व्यवहारी द्वारा की गई बिक्री के संबंध में सेल पट्टी (बिक्री पत्र) प्रस्तुत कर दिया गया था। जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने बगैर सुनवाई का अवसर दिये, अस्वीकार किया है, जो कि अविधिक होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया है एवं उक्त आधारों पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

6. उभयपक्ष की बहस एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर मनन किया गया। यह निर्विवादित तथ्य है कि व्यवहारी द्वारा उक्त बिक्री के संबंध में माल प्रेषण, परिवहन एवं माल प्राप्तकर्ता व्यवहारी से संबंधित साक्ष्य कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये एवं माल प्राप्तकर्ता व्यवहारी (कमीशन एजेन्ट) मैसर्स जी.आर.एन्टरप्राईजेज बरपेटा आसाम द्वारा की गई बिक्री के संबंध में प्रस्तुत हिसाब (सेल पट्टी/बिक्री पत्र) भी प्रस्तुत किया गया है। जिसको कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी जांच/साक्ष्य के द्वारा असत्यापित साबित नहीं किया गया है। यदि व्यवहारी ने 11.05.2002 से पूर्व की स्थिति में माल प्रेषण बिक्री से अन्यथा साबित कर दिया है तो "एफ" प्रपत्र की आवश्यकता नहीं थी जैसा कि माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा CST बनाम आगरा फूड प्रोडक्टस प्रा0 लि0 1984 UPTC 362 एवं 1983 UPTC पृष्ठ 678 में निर्णित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सीएसटी एक्ट के अधीन बिक्री हेतु भेजे गये माल के सत्यापन के संबंध में 'एफ' प्रपत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता था। सत्यापन हेतु 'एफ' प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में

लगातार.....3

अन्तःप्रान्तीय बिक्री मानने संबंधित संशोधन दिनांक 11.05.2002 को अमल में आया है। तदनुरूप धारा 6ए(1) में दिनांक 11.05.2002 से निम्नांकित संशोधन किया गया है :– **[and if the dealer fails to furnish such declaration, then, the movement of such goods shall be deemed for all purposes of this Act to have been occasioned as a result of sale.]** उक्त संशोधन विवादित अवधि के पश्चातवर्ती अवधि में हुआ है अतः प्रस्तुत बिक्री पट्टी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा असत्यापित नहीं करने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित उक्त मांग को अपास्त करने में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन के आलोक में राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय प्रसारित किया गया।

9.2.2016

(मदन लाल)
सदस्य